

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली

बईजलास : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान

1. तेजपालसिंह पुत्र भोपालसिंह राजपूत निवासी चीपीखेड़ा तहसील मावली।
3. प्रमोदसिंह पुत्र भोपालसिंह राजपूत निवासी चीपीखेड़ा तहसील मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. ललिताकुंवर पुत्री भोपालसिंह राजपूत निवासी चीपीखेड़ा तहसील मावली।
2. नाबालिग भीमसिंह पुत्र लालसिंह मोजावत संरक्षक पिता लालसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी चीपीखेड़ा तहसील मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली तहसील, मावली।
4. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
5. पटवारी पटवार हल्का, गोलवाडा तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 170 / 24 (वाद) जीसीएमएस : 2024 / 382

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब पेश मुद्दायलह होकर हुक्म दिया जाकर अंतिम डिक्री दी जाती है कि :-
वाद वादीगण अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा चीपीखेड़ा पटवार हल्का, गोलवाडा तहसील, मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 146 पर दर्ज आराजियात का बंटवारा मुताबिक विभाजन सूची निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदारों के नाम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान
1	नाबालिग भीमसिंह पुत्र लालसिंह मोजावत संरक्षक पिता लालसिंह पिता रूपसिंह राजपूत सा. देह खातेदार	734 / 414 / 2	0.6042	बा.प्र.	0.67
		813 / 382 / 2	0.4318	बा.प्र.	0.48
	योग	किता-02	1.0360	-	1.15
2	तेजपालसिंह पुत्र भोपालसिंह 1/3 राजपूत सा. देह खातेदार, ललिताकुंवर पुत्री भोपालसिंह 1/3 राजपूत सा. देह खातेदार, प्रमोदसिंह पिता भोपालसिंह 1/3 राजपूत सा. देह खातेदार रहन- केनरा बैंक शाखा मावली हिस्सा 1/3 प्रमोदसिंह का	734 / 414 / 1	0.4480	बा.प्र.	0.50
		813 / 382 / 1	0.5880	बा.प्र.	0.65
	योग	किता-02	1.0360	-	1.15

नोट :- उक्त डिक्री का नक्शा ट्रेस एवं विभाजन सूची अभिन्न अंग रहेगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **19.02.2026** को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO) मावली
जिला उदयपुर

